

क्रमांक 159/बो.प्र./नि.स./2021/.....
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
शिवनाथ भवन, अटल नगर नवा रायपुर (छ.ग.)

दिनांक /09/2021

प्रति,

जनसूचना अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग,
रायपुर (छ.ग.)

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी प्रदाय करने बाबत।

संदर्भ :- 1. अपीलार्थी श्री प्रमेन्द्र सिंह सलूजा के आवेदन दिनांक 18.08.2021.

2. प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.09.2021

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि अपीलार्थी श्री प्रमेन्द्र सिंह सलूजा के आवेदन दिनांक 18.08.2021. पर प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.09.2021 की सत्यापित प्रति आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है। दिये गये निर्णय पर कार्यवाही करते हुए प्रथम अपीलीय अधिकारी को सूचित करें।

सहपत्र : उपरोक्तानुसार

सही/-
(अरुण कुमार बड़िये)
अधीक्षण अभियंता (बोधी)
एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
शिवनाथ भवन, नवा रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्र. 159/बो.प्र./नि.स./2021/..7884 रायपुर

दिनांक 23/09/2021

प्रतिलिपि :-

1. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस., कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन रायपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग के वेबसाईट (RTI) में अपलोड करें।
2. श्री प्रमेन्द्र सिंह सलूजा द्वारा दलजीत सलूजा, आजाद चौक, पं. दिनदयाल उपाध्याय वार्ड क्र.-19, जिला बस्तर, जगदलपुर (छ.ग.) मो.नं. - 8871846067 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

सहपत्र : उपरोक्तानुसार

Asualhijs
23/09/2021
(अरुण कुमार बड़िये)
अधीक्षण अभियंता (बोधी)
एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
शिवनाथ भवन, नवा रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक 159/बो.प्र./नि.स./2021/.....
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
शिवनाथ भवन, अटल नगर नवा रायपुर (छ.ग.)

दिनांक /09/2021

अपील प्रकरण क्रमांक 159

अपीलार्थी
श्री प्रमेन्द्र सिंह सलूजा
द्वारा दलजीत सलूजा, आजाद
चौक, पं. दिनदयाल उपाध्याय
वार्ड क्र.-19, जिला बस्तर,
जगदलपुर (छ.ग.)
मो.नं. - 8871846067

विरुद्ध

प्रतिअपीलार्थी
श्री एल.बी.शाह
जनसूचना अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग,
रायपुर (छ.ग.)

आदेश दिनांक 23.09.2021

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलार्थी श्री प्रमेन्द्र सिंह सलूजा द्वारा दलजीत सलूजा, आजाद चौक, पं. दिनदयाल उपाध्याय वार्ड क्र.-19, जिला बस्तर, जगदलपुर (छ.ग.)के प्रथम अपील आवेदन पत्र दिनांक 18.08.2021 की सुनवाई दिनांक 14.09.2021 एवं आज दिनांक 23.09.2021 को कक्ष क्र. एफ.ए.-6 में दोपहर 12.00 बजे प्रारम्भ की गई। सुनवाई के दौरान जनसूचना अधिकारी श्री एल.बी. शाह कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग, रायपुर (छ.ग.) उपस्थित हुए परन्तु अपीलार्थी अनुपस्थित थे।

1. अपीलार्थी श्री प्रमेन्द्र सिंह सलूजा, ने यह अपील जनसूचना अधिकारी कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग, रायपुर (छ.ग.) ने पत्र दिनांक 04.08.2021 के द्वारा अपीलार्थी को प्रस्तुत जानकारी से असंतुष्ट होकर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रस्तुत की है।
2. जनसूचना अधिकारी के तर्क श्रवण किये गये। अपीलार्थी के तर्क मोबाईल द्वारा श्रवण किये गये।
3. अपीलार्थी इस तथ्य से व्यथित है कि उन्हें डाटा एंट्री आपरेटर एवं वाहन चालकों के नाम की सूची माह दिसंबर 2018 की स्थिति में, जिसे मुख्य अभियंता कार्यालयों के माध्यम से एकजाई कर प्रमुख अभियंता कार्यालय द्वारा छ.ग. प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ को प्रदाय किया गया है, उन्हें भी प्रदाय की जानी थी।
4. जनसूचना अधिकारी के प्रकरण के अवलोकन से यह पाया जाता है कि उन्हें पूर्व में स्थापना कक्ष द्वारा नोटशीट के माध्यम से सूचित किया था कि वांछित जानकारी समस्त मुख्य अभियंताओं से अप्राप्त होने के कारण दिया जाना संभव नहीं था। अतः उन्होंने अपीलार्थी को नोटशीट की छायाप्रति भी प्रदाय की गई। मुख्य अभियंताओं से वांछित जानकारी स्थापना कक्ष को प्राप्त होने के

फलस्वरूप स्थापना कक्ष द्वारा जनसूचना अधिकारी को दिनांक 22.09.2021 को वांछित जानकारी प्रदाय कर दी है।

5. अतः उभय पक्षों के तथ्यों के आधार पर प्रकरण पर यह निर्णय दिया जाता है कि :-

जनसूचना अधिकारी को वांछित जानकारी प्राप्त हो गई है। अतः जनसूचना अधिकारी उक्त जानकारी/अभिलेख की छायाप्रति अपीलार्थी को 3 दिवस के भीतर निशुल्क प्रदाय करें।

 23/09/2021

(अरुण कुमार बड़िये)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
शिवनाथ भवन, नवा रायपुर (छ.ग.)